को पढ़ा गया।

26/5/2025

पत्रा. पेश हुई। बक्क 34.1 वादी बार 9/6-47 हाजिर न होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्ल के नियम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपंखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

मानसिंह बनाम सरकार

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 56/2015 व हाजरी वादी
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रू–ब–रू ......– मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दई व .... डिक्री दी जाती है कि

विवादित आराजी हाल आराजी खसरा नं. 883 रकबा 0.09 साबिक खसरा नं. 613 मिन रकबा 7 बिस्वा तथा हाल खसरा नं. 902 रकवा 0.25 साबिक खसरा नं. 615/1565/1 ब 615/1565 रकवा क्रमशः 8 बि. ब 12 बि. से तथा हाल खसरा नं. 1025 रकबा 0.10 साबिक खसरा नं. 694 रकवा 8 बि. से तथा हाल खसरा नं. 1056 साबिक खसरा नं. 717/1 रकबा बी. बाके ग्राम उंच, तहसील नदबई पर वादी का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह बेज ...... मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – – ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख......26-5-2025 को जारी की गई।

दस्तखत————

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:54:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उर्फ परभाती जाति जाटव नि मी उंच तहसील नद

उर्फ परभाती जाति जाटव निवासी उंच तहसील नदब

उर्फ प भाती (मृतक)
पत्नि कमलसिंह पुत्री प्रभाती उर्फ परभाती जाति जाटव
नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी अरौदा तहसील नदबई
ारीदेवी प त्नि शिब्बो जाति जाटव निवासी उंच तहसील
हाल निवासी अरौदा तहसील नदबई

—वादीगण

बनाम

जरिये जिला कलक्टर भरतपुर
जरिये तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:54:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 56 / 2015
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
जीसीएमएस नंबर 2015 / 124
निर्णय दिनांक. – 26.05.2025

1. मानसिंह पुत्र प्रभाती उर्फ परभाती जाति जाटव निवासी उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. शिवदयाल पुत्र प्रभाती उर्फ परभाती जाति जाटव निवासी उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. अंगनियां पत्नि प्रभाती उर्फ परभाती (मृतक)
4. महादेई उर्फ महादेवी पत्नि कमलसिंह पुत्री प्रभाती उर्फ परभाती जाति जाटव निवासी उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी अरौदा तहसील नदबई
5. अनारी देई उर्फ अनारीदेवी पत्नि शिब्बो जाति जाटव निवासी उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी अरौदा तहसील नदबई

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मणसिंह एड.(वादी)

निर्णय

दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत् पेश किया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है–

3. यह कि मुकदमा फरीकेन में सभी पक्षकारान बालिग तथा स्वस्थ चित्त है तथा दावा लडने योग्य है।
4. यह है कि आराजी खसरा नं. 883 रकवा [illegible] रकवा 0.25, 1056 रकवा 0.25, 1025 रकवा 0.40 किता 4 कुल रकवा [illegible] है. वाके ग्राम उंच

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:54:41 IST
Reason: SelfAttested

26/5/25

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

तहसील नदबई में स्थित है। जिस पर वादीगण सं. 1 लगायत 3 बा हिस्सा बराबर खातेदार की तरह काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे हैं

5. यह है कि हाल आराजी खसरा नं. 883 रकवा 0.09 साबिक खसरा नं. 613 मिन रकबा 7 बिस्वा तथा हाल खसरा नं. 902 रकवा 0.25 साबिक खसरा नं. 615/1565/1 व 615/1565 रकवा क्रमशः 8 बि. व 12 बि. से तथा हाल खसरा नं. 1025 रकबा 0.10 साबिक खसरा नं. 694 रकवा 8 बि. से तथा हाल खसरा नं. 1056 साबिक खसरा नं. 717/1 रकबा बी. वाके ग्राम उंच तहसील नदबई से बने हैं।

6. यह है कि साबिक खसरा नं. 615/1565/1 रकवा 8 बि. व खसरा नं. 717/1 रकवा 1 बी. वाके ग्राम उंच तहसील नदबई का आवंटन वादीगण सं. 1 लगायत 3 के पिता व पति के नाम होकर इंतकला सं. 341 से उनके नाम गैरखातेदारी के इन्द्राजात आये तथा साबिक खसरा नं. 613 रकवा 7 बि. वाके ग्राम उंच तहसील नदबई के आवंटन शुदा रकबा पर इंतकला सं. 253 से बादीगण के पिता व पति के नाम इन्द्राजात खातेदारी आये तथा साबिक खसरा नं. 615/1565 रकबा 12 बि. व 694 रकवा 8 बि. वाके ग्राम उंच तहसील नदबई का आवंटन बादीगण के पिता के नाम दिनांक 20.10.1977 को होकर इंतकला सं. 133 से गैरखातेदारी के इन्द्राजात आये बादीगण सं. 1 ल. 3 के पिता व पति की मृत्यु आज से करीब 20 साल पूर्व हो चुकी है। वादीगण सं. 1 लगा. 3 उक्त आराजी पर अपने पिता व पति के समय से उनके साथ साथ व उनके मरने के बाद से हाल तक वादीगण उक्त आराजी पर खातेदार की तरह काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है।

7. यह है कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वादपत्र की आराजी पर हाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरीके से वादीगण सं. 1 लगा. 3 के नाम गैरखातेदारी के इन्द्राजात चले आ रहे हैं। जबकि वादीगण अपने पिता व पति के समय से एलॉटमेंट होने के समय से उनके साथ साथ तथा उनकी मृत्यु के बाद से ता हाल तक उक्त विवादित [illegible] खातेदार की तरह काबिज चले आ रहे हैं। गैरखातेदारी [illegible] [illegible]जी से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है [illegible] सं. 1 लगा. 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:54:41 IST
Reason: SelfAttested

28/5/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वादपत्र पर अपने आपको बाहिस्सा बराबर खातेदार ब काबिज घोषित करापाने के अधिकारी हैं तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदारी के चले आ रहे इन्द्राजात को कलमजन करापाने के अधिकारी हैं।

8. यह है कि राज. सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर को धारा 80 जा. दी. का नोटिस दे दिया गया है। परन्तु दावा अर्जेन्ट व इमीडेट प्रकृति का होने से धारा 80(2) जा. उ. के तहत नोटिस की मियाद पूरी होने से पहले ही दाबा पेश करने की अनुज्ञा चाही गई है। दाबा घोषित होने से प्रतिवादी सं. 1 को पक्षकार बनाया गया है। व प्रतिवादी सं. 2 लैण्ड होल्डर होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है।

अतः यह घोषित किया जावे कि वादीगण सं. 1 लगा. 3 विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वाद पत्र खसरा नं. 883 रकवा 0.09, 902 रकवा 0.25, 1025 रकवा 0.10 वाके ग्राम उंच तहसील नदबई के बा हिस्सा बराबर खातेदार ब काबिज है। तथा उक्त आराजी से वादीगण के नाम के गैरखातेदारी के इन्द्राजात कलमजन किये जावें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से सरकार पैरोकार तहसीलदार नदबई द्वारा उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया। पत्रावली में तनीकायात कायम की गई। जो निम्नानुसार है—

9. आया वाद उक्त आराजी पर खातेदारा काश्कार करापाने का अधिकारी है।

— जिम्मेवादी

10. प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करापाने का अधिकारी है।

— जिम्मेवादी

11. उक्त आराजी पर गैर खातेदारी के गलत इन्द्राजात चले आ रहे हैं। कब्जा नहीं होने से खातेदारी नहीं दी जा सकती है।

— जिम्मेप्रतिवादीगण

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में सत्यप्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम उंच (पृदर्श 1), जमाबंदी सं. 2067 से 2070 वाके ग्राम उंच (पृदर्श 2 व पृदर्श 3), नकल ... क्षेत्रफल (पृदर्श 4)जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:54:41 IST
Reason: SelfAttested

26/5/25

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

संवत 2046–2049 (पृदर्श 5) नामांतरण इन्तकाल सं. 341 (पृदर्श 6) नामांतरण इन्तकाल सं. 253 वाके ग्राम उंच (पृदर्श 7) जमांबंदी सं. 2042 वाके ग्राम उंच (पृदर्श 8) मिला क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम उंच (पृदर्श 9) जमांवदी सं. 2037 वाके ग्राम उंच पेश किये गये। मौखिक साक्ष्य के रूप में मानसिंह पुत्र प्रभाती उर्फ परभाती के शपथ–पत्र पेश किए गए, पत्रावली में तहसीलदार नदबई के पत्रांक 501 दिनांक 28.05.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट भिजवायी गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

हमने बहस सुनी गई। वादी द्वार अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। वादी वकील के कथन रहे कि हाल आराजी खसरा नं. 883 रकवा 0.09 साबिक खसरा नं. 613 मिन रकबा 7 बिस्वा तथा हाल खसरा नं. 902 रकवा 0.25 साबिक खसरा नं. 615/1565/1 ब 615/1565 रकवा क्रमशः 8 बि. ब 12 बि. से तथा हाल खसरा नं. 1025 रकबा 0.10 साबिक खसरा नं. 694 रकवा 8 बि. से तथा हाल खसरा नं. 1056 साबिक खसरा नं. 717/1 रकबा बी. बाके ग्राम उंच तहसील नदबई से बने हैं। साबिक खसरा नं. 615/1565/1 रकबा 8 बि. व खसरा नं. 717/1 रकवा 1 बी. वाके ग्राम उंच तहसील नदबई का आवंटन वादीगण सं. 1 लगायत 3 के पिता व पति के नाम होकर इंतकला सं. 341 से उनके नाम गैरखातेदारी के इन्द्राजात आये तथा साबिक खसरा नं. 613 रकबा 7 बि. वाके ग्राम उंच तहसील नदबई के आवंटन शुदा रकबा पर इंतकला सं. 253 से बादीगण के पिता व पति के नाम इन्द्राजात खातेदारी आये तथा साबिक खसरा नं. 615/1565 रकवा 12 बि. ब 694 रकवा 8 बि. वाके ग्राम उंच तहसील नदबई का आवंटन बादीगण के पिता के नाम दिनांक 20.10.1977 को होकर इंतकला सं. 133 से गैरखातेदारी के इन्द्राजात आये बादीगण सं. 1 ल. 3 के पिता व पति की मृत्यु आज से करीब 20 साल पूर्व हो चुकी है। वादीगण सं. 1 लगा. 3 उक्त आराजी पर अपने पिता व पति के समय से उनके साथ साथ व उनके मरने के बाद से हाल तक वादीगण उक्त आराजी पर खातेदार की तरह काबिज रह कर काश्त कर[illegible] आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। अतः वादपत्र स्वीकार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:54:41 IST
Reason: SelfAttested

29/5/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि हाल आराजी खसरा नं. 883 रकवा 0.09 साबिक खसरा नं. 613 मिन रकबा 7 बिस्वा तथा हाल खसरा नं. 902 रकवा 0.25 साबिक खसरा नं. 615/1565/1 ब 615/1565 रकवा क्रमशः 8 बिं. ब 12 बि. से तथा हाल खसरा नं. 1025 रकबा 0.10 साबिक खसरा नं. 694 रकवा 8 बि. से तथा हाल खसरा नं. 1056 साबिक खसरा नं. 717/1' रकबा बी. बाके ग्राम उंच तहसील नदबई से बने हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या में प्रदर्श-10 के अनुसार उक्त विवादित भूमि आवंटन दिनांक 26.10.77 से पूर्व सिवायचक लगानी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि संवत 2012 या उससे पूर्व वादी के पूर्वजों का उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काश्त एवं गैर खातेदारी के अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहे है । चूंकि वादी के पिता को उक्त आराजी गैर खातेदार की हैसियत से काश्त हेतु आंवटित की गई है। अतः वादी नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी हेतु आवेदन कर खातेदारी प्राप्त कर सकता है न्यायालय के द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है एवं खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी हाल आराजी खसरा नं. 883 रकवा 0.09 साबिक खसरा नं. 613 मिन रकबा 7 बिस्वा तथा हाल खसरा नं. 902 रकवा 0.25 साबिक खसरा नं. 615/1565/1 ब 615/1565 रकवा क्रमशः 8 बि. ब 12 बि. से तथा हाल खसरा नं. 1025 रकबा 0.10 साबिक खसरा नं. 694 रकवा 8 बि. से तथा हाल खसरा नं. 1056 साबिक खसरा नं. 717/1 रकबा बी. बाके ग्राम उंच तहसील नदबई पर वादी का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा[illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:54:41 IST
Reason: SelfAttested

26/5/25
(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner